



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा केन्द्र" 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110301
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110 301

सीई/सीबीएसई/शैक्षणिक/एस.ए-IX

दिनांक: 3 फरवरी, 2010

परिपत्र सं०: 06/2010

**सी.बी.एस.ई. से संबद्ध
सभी संस्थाओं के प्रमुख ।**

विषय: योगात्मक निर्धारण-II के अर्न्तगत कक्षा-9, 2010 परीक्षा का आयोजन करना।

प्रधानाचार्य महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस शैक्षणिक वर्ष से अपने संबद्ध विद्यालयों में परीक्षा सुधारों तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की है । विस्तृत योजना की जानकारी विद्यालयों के सभी प्रमुखों को हमारे परिपत्र सं० 39,40,42,50,51,52,54,61,62 तथा 63 (2009) द्वारा पहले ही दे दी गई है ।

2. योजना सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालयों में कक्षा-9 में अक्टूबर 2009 अर्थात् द्वितीय सत्र से लागू है । इसके तहत दो रचनात्मक निर्धारण और एक योगात्मक निर्धारण किया जाना है । विद्यालय द्वितीय सत्र के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन कर चुके हैं/कर रहे हैं और इस सत्र का योगात्मक निर्धारण अब किया जाना है ।

3. इस सत्रांत योगात्मक निर्धारण-II के तहत निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर **आंतरिक रूप से परीक्षा ली जाएगी:-**

(क) कक्षा-9 के योगात्मक निर्धारण-II के लिए भिन्न-भिन्न विषयों में पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रश्न-पत्र डिजाइन वही होंगे जो बोर्ड द्वारा पूर्व में परिचालित किए गए हैं। ये सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर सीबीएसई कार्नर के तहत भी उपलब्ध हैं ।

ख) योगात्मक निर्धारण पैन-पेपर (लिखित) परीक्षा के रूप में होगा जो स्वयं विद्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

- ग) मानक एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों में प्रश्न पत्र बैंक विद्यालयों में फरवरी/मार्च 2010 तक भेजे जाएंगे ।
- घ) छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने की गति में अंतराल प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यालय छात्रों को प्रश्न-पत्रों को पूरा करने के लिए लचीला समय देंगे । यह 3 से 3.30 घंटे का अलग-अलग हो सकता है ।
- ड) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई अंकन योजना के आधार पर किया जाएगा ।
- च) विद्यालयों द्वारा अपनाई गई निर्धारित प्रक्रिया का यादृच्छिक सत्यापन बोर्ड के पदाधिकारियों/बोर्ड द्वारा नियुक्त नामितियों द्वारा किया जाएगा ।

4. इंग्लिश कम्यूनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी-ए, हिंदी-बी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संप्रेक्षणपरक संस्कृत के प्रश्न पत्र बैंक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । अन्य विषयों/भाषाओं के लिए विद्यालय सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूना प्रश्न पत्र और पूर्व दी गई सूचना पर आधारित अपने स्वयं के प्रश्न पत्र की व्यवस्था करेंगे ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बोर्ड 08 सी.डी. भेजेगा । प्रत्येक सी.डी. में कुछ प्रश्न पत्र हैं और उनमें से एक प्रश्न पत्र आपको आवंटित किया गया है । इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड आपको ई-मेल या एस.एम.एस. या टेलीफोन द्वारा पासवर्ड भेजेगा । सभी विद्यालयों को प्रश्न-पत्रों की सी.डी. 20, फरवरी तक भेजने की हमारी योजना है और उसके तत्काल बाद आपको पासवर्ड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा । प्रत्येक विद्यालय तदनुसार कक्षा-9 परीक्षा के लिए अपनी स्वयं की डेटसीट तैयार कर सकते हैं । सीडी का संचालन करने के लिए विस्तृत कार्यरिती संलग्न हैं ।

5. प्रत्येक विषय में पासवर्ड प्राप्त होने के बाद विद्यालय आवंटित प्रश्न-पत्र का प्रिंट निकालेंगे । उसके पश्चात् प्रत्येक विषय में अपेक्षित संख्या में प्रिंट/ कापियां विद्यालय स्तर पर तैयार की जा सकती हैं । इन प्रश्न पत्रों को सावधानी से रखा जाना चाहिए । विद्यालय को इन प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हुए कक्षा-9 के सभी विषयों की परीक्षा का आयोजन फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च 2010 के अंतिम सप्ताह तक करना चाहिए ।

6. प्रत्येक विद्यालय को अंकन योजना अलग से भेजी जा रही है जो विद्यालयों में समय पर पहुंच जाएगी ।

7. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आपके विद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए मूल्य बिंदु वाली अंकन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए ।

8. कृपया ध्यान दें कि कक्षा-9 की उत्तर-पुस्तिकाएं किन्हीं भी परिस्थितियों में बोर्ड को नहीं भेजी जानी चाहिए ।

9. इस ओर पुनः ध्यान दिया जाए कि एकरूपता एवं मानक बनाए रखने के उद्देश्य से कक्षा-9 के प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा डिजाइन किए गए हैं जो विद्यालयों को

भेजे जा रहे हैं । साझेदारों (स्टेकहोल्डर) की फीडबैक तथा सुझावों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में बोर्ड इस नीति की पुनः जांच करेगा ।

मुझे आशा है कि कक्षा-9 के लिए द्वितीय सत्र योगात्मक निर्धारण के आयोजन की प्रक्रिया आप समझ गए हैं । इस संबंध में आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं :-

	<u>अधिकारी का नाम</u>	<u>सम्पर्क न०</u>
1.	श्री एम.सी. शर्मा, परीक्षा नियंत्रक	011-22515828
2.	श्रीमती सी. गुरुमूर्ति निदेशक(शैक्षणिक)	011-23220153
3.	श्री आर. नीलमेगम संयुक्त सचिव(समन्वय)	011-22517250
4.	श्रीमती सुगंध शर्मा, शिक्षा अधिकारी(कामर्स)	011-23220155
5.	डा० साधना पाराशर शिक्षा अधिकारी	011-23234324
6.	डा० सृजाता दास शिक्षा अधिकारी(गणित)	011-23237779
7.	श्री पी.वी. साईरंगा राव शिक्षा अधिकारी(वि.वो. एडुसेट)	011-22444845
8.	संयम भारद्वाज उप सचिव(पीएमटी)	011-22509683
9.	श्री आर.पी. शर्मा, परामर्शदाता	011-23211200
10.	श्री समीर दत्ता, उप सचिव (आईटी)	011-22467774

इसे कक्षा-9 के सभी अध्यापकों, छात्रों तथा अभिभावकों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

**(एम.सी.शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक**

सी.डी. चलाने की कार्यरिति

1. विद्यालय को भेजी गई सीडी में तीन प्रकार की फाइलें हैं अर्थात एक फाइल सीडी चलाने के लिए अनुदेशों की है, एक फाइल ऐकरोबैट रीडर सॉफ्टवेयर की है और अनेक फाइलें प्रश्न पत्र बैंक की हैं । ऐकरोबैट रीडर सॉफ्टवेयर की सहायता से आप अपने विद्यालय को आवंटित प्रश्न पत्र की फाइल को खोल सकेंगे । यदि आपके कम्प्यूटर में ऐकरोबैट रीडर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसे सीडी से डाउन लोड कर सकते हैं ।
2. प्रश्न पत्र बैंक की फाइल पीडीएफ फार्मेट में होगी और इन विभिन्न पीडीएफ फाइलों में से एक फाइल आपके विद्यालय को आवंटित है । इस फाइल का नाम एवं पासवर्ड विद्यालय के प्रधानाचार्य के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा अथवा ई-मेल अथवा टेलिफोन द्वारा सूचित कर दिया जाएगा ।
3. फाइल का नाम एवं पासवर्ड प्राप्त न होने अथवा फाइल का नाम एवं पासवर्ड अधूरा होने अथवा सीडी खोलने में कठिनाई होने की स्थिति में **आप +919811677150 नम्बर पर काल कर सकते हैं ।**
4. फाइल खोलने के लिए, आपको बॉक्स में पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जाएगा ।
5. जब फाइल खुल जाती है, आवंटित पीडीएफ फाइल पर डबल क्लिक करें ।
6. फाइल खुल जाएगी और आप प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं ।
7. प्रिंट लेते समय कृपया सुनिश्चित करें कि प्रिंट सभी तरह से पूर्ण है ।
8. विद्यालय को प्रश्न पत्रों की पर्याप्त फोटोकॉपियां तैयार करनी चाहिए और इन्हें सावधानीपूर्वक रखना चाहिए ।
9. परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने की स्थिति में, विद्यालय के उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में विद्यालय पर्याप्त प्रश्न पत्र प्रिंट करा सकते हैं ।
10. हमारे रिकार्ड के अनुसार कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके मोबाइल नम्बर/ ई-मेल आई.डी./टेलीफोन नम्बर उपलब्ध नहीं हैं । ऐसे मामलों में पासवर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा ।
11. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए और परीक्षा का संचालन निष्पक्ष तथा निर्बाध रूप से किया जाए ।
12. सीडी चलाने की कार्यरितियां बाद में भेजी जानेवाली सीडी में भी उपलब्ध हैं।